M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/बी.डी. इम्प. (467 पार्ट–3)/2025–25/1837 दिनांक : 07.08.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आर.सी.ओ. दि0 20.05.2025

निगम के माध्यम से हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S. GURUKIRPA HARDWARE, OFFICE AT : BUS STAND SINGHANA DHAR (MP)
SHRI KAILASH BHATRODRA, PROPRIETOR : 9993662334

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST		TOTAL	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST	FINAL SELLING PRICE
			%	Amount					
1	NIMADI PANJI DHAL	5700.00	0%	0.00	5700.00	5700.00	285.00	0.00	5985.00
2	G.N. DECORTICATOR	2550.00	0%	0.00	2550.00	2550.00	127.50	0.00	2677.50

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. <u>दरों की प्रभावशीलता</u> : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 07.08.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 06.11.2025) तक लागू रहेंगी।

2. <u>आदेश की प्रकिया</u> : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. Ltd. BHOPAL

---- 2

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) कृषि विभाग व अन्य शासकीय विभागों को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर ही किया जावे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। यदि सामग्री शासकीय योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रदायक को अनुदान की राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जावे।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. अनुसार सभी इम्पलीमेंट पर एक वर्ष की वारण्टी रहेगी।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
07/08/25

प्रतिलिपि :– 1838
07-8-25

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खादय् प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 4

5. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. **M/S. GURUKIRPA HARDWARE,** OFFICE AT : BUS STAND SINGHANA DHAR (MP)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd ★BHOPAL★

प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / बी.डी. इम्प. (467 पार्ट–3) / 2025–25 / 1841 दिनांक : 07.08.2025 08

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आर.सी.ओ. दि0 20.05.2025

निगम के माध्यम से हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S. GANGA INDUSTRIES, OFFICE AT : SURVEY NO. 444, VILLAGE KHATAMBA, BHOPAL -DEWAS HIGHWAY, DEWAS - 455115 (MP) SHRI MANOJ RAJANI, PROPRIETOR : 91-9425048585 E-Mail : gangaindustries1991@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST		TOTAL	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST	FINAL SELLING PRICE
			%	Amount					
1	SINGLE DORA	1070.00	0%	0.00	1070.00	1070.00	53.50	0.00	1123.50
2	REVERSIBLE PLOUGH	2999.00	0%	0.00	2999.00	2999.00	149.95	0.00	3148.95
3	G.N. DECORTICATOR	2550.00	0%	0.00	2550.00	2550.00	127.50	0.00	2677.50
4	SEED TRETMENT DRUM	2346.00	0%	0.00	2346.00	2346.00	117.30	0.00	2463.30
5	WINNOWING FAN (I)	3800.00	0%	0.00	3800.00	3800.00	190.00	0.00	3990.00
6	WINNOWING FAN (II)	5763.00	0%	0.00	5763.00	5763.00	288.15	0.00	6051.15
7	GRAIN BIN 5 QTLS	2700.00	18%	486.00	3186.00	2700.00	135.00	510.30	3345.30
8	GRAIN BINS 10 QTLS	4475.00	18%	805.50	5280.50	4475.00	223.75	845.78	5544.53
9	GRAIN BINS 12 QTLS	4814.00	18%	866.52	5680.52	4814.00	240.70	909.85	5964.55
10	GRAIN BINS 20 QTLS2013	7051.00	18%	1269.18	8320.18	7051.00	352.55	1332.64	8736.19
11	SERRATED SICKLE	130.00	0%	0.00	130.00	130.00	6.50	0.00	136.50
12	CHAFF CUTTER (NON ISI)	8100.00	12%	972.00	9072.00	8100.00	405.00	1020.60	9525.60
13	SPIRAL SEED GRADER (7DISC)	5230.00	18%	941.40	6171.40	5230.00	261.50	988.47	6479.97

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 07.08.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 06.11.2025) तक लागू रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 2

2. **<u>आदेश की प्रकिया</u>** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **<u>सामग्री की प्रदायगी</u>** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) कृषि विभाग व अन्य शासकीय विभागों को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर ही किया जावे।

4. **<u>सामग्री की गुणवत्ता</u>** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 3

मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। यदि सामग्री शासकीय योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रदायक को अनुदान की राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जावे।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. <u>अधिरोपित शास्ति</u> : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. <u>वारण्टी :</u> आर.सी.ओ. अनुसार सभी इम्पलीमेंट पर एक वर्ष की वारण्टी रहेगी।

9. <u>दरों की एक मात्र मान्यता</u> : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. <u>अन्य नियम एवं शर्ते</u> : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
07/08/25

1842
08-8-25

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. **M/S. GANGA INDUSTRIES,** OFFICE AT : SURVEY NO. 444, VILLAGE KHATAMBA, BHOPAL -DEWAS HIGHWAY, DEWAS - 455115 (MP)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
07/08/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/बी.डी. इम्प. (467 पार्ट–3)/2025–25/1843 दिनांक : 07.08.2025 08

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आर.सी.ओ. दि0 20.05.2025

निगम के माध्यम से हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S. KISSAN AGRO INDUSTRIES, OFFICE AT : PLOT NO. 77-B, RICHHAI INDUSTRIAL AREA, JABALPUR (MP) SHRI RAJENDRA SINGH TOMAR, PARTNER : MOB - 91-9425686327 kissanagro100@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST		TOTAL	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST	FINAL SELLING PRICE
			%	Amount					
1	SINGLE DORA	1070.00	0%	0.00	1070.00	1070.00	53.50	0.00	1123.50
2	BUND FORMER	2800.00	0%	0.00	2800.00	2800.00	140.00	0.00	2940.00
3	REVERSIBLE PLOUGH	2999.00	0%	0.00	2999.00	2999.00	149.95	0.00	3148.95
4	MAIZE SHELLLER	75.00	0%	0.00	75.00	75.00	3.75	0.00	78.75
5	SERRATED SICKLE	130.00	0%	0.00	130.00	130.00	6.50	0.00	136.50
6	SOYA WEEDER	1000.00	0%	0.00	1000.00	1000.00	50.00	0.00	1050.00
7	HAND WHEEL HOW CYCLE TYPE	3050.00	0%	0.00	3050.00	3050.00	152.50	0.00	3202.50
8	WINNOWING FAN (II)	5763.00	0%	0.00	5763.00	5763.00	288.15	0.00	6051.15
9	MANUALLY OPERATED CHAFF CUTTER (ISI MARKED) IS (7898: 2001)	10800.00	12%	1296.00	12096.00	10800.00	540.00	1360.80	12700.80
10	CONO WEEDER	2000.00	0%	0.00	2000.00	2000.00	100.00	0.00	2100.00
11	GRAIN BIN 5 QTLS	2700.00	18%	486.00	3186.00	2700.00	135.00	510.30	3345.30
12	GRAIN BINS 10 QTLS	4475.00	18%	805.50	5280.50	4475.00	223.75	845.78	5544.53
13	SPIRAL SEED GRADER (7DISC)	5230.00	18%	941.40	6171.40	5230.00	261.50	988.47	6479.97

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 07.08.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 06.11.2025) तक लागू रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

2. **<u>आदेश की प्रकिया</u>** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) कृषि विभाग व अन्य शासकीय विभागों को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर ही किया जावे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। यदि सामग्री शासकीय योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रदायक को अनुदान की राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जावे।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी :** आर.सी.ओ. अनुसार सभी इम्पलीमेंट पर एक वर्ष की वारण्टी रहेगी।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)

---- 4

1844
08-8-25

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. **M/S. KISSAN AGRO INDUSTRIES,** OFFICE AT : PLOT NO. 77-B, RICHHAI INDUSTRIAL AREA, JABALPUR (MP)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755-2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/बी.डी. इम्प. (467 पार्ट-3)/2025-25/1845 दिनांक : 07.08.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आर.सी.ओ. दि0 20.05.2025

निगम के माध्यम से हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

निर्माता का नाम एवं पता	प्रदायक/डिस्टीब्यूटर का नाम एवं पता
M/S. DELUX FOUNDRY OFFICE AT : G.T. ROAD, BATALA - 143505 (PB) SHRI AKASH KARARA, AUTH. SIGNATORY 7470620606, 91-9888003251 E-MAIL :RAKESH24C@YAHOO.CO.IN	**M/S. BHARTI AGRO PRODUCTS,** 17. SHEETAL NAGAR BERASIA ROAD, BHOPAL (MP) SHRI AKASH KARARA, 7470620606

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST		TOTAL	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST	FINAL SELLING PRICE
			%	Amount					
1	MANUALLY OPERATED CHAFF CUTTER (ISI MARKED) IS (7898: 2001)	10800.00	12%	1296.00	12096.00	10800.00	540.00	1360.80	12700.80

NOTE : निर्माता मध्यप्रदेश के बाहर का होने के कारण उनके द्वारा मध्यप्रदेश के लिए **M/S. BHARTI AGRO PRODUCTS,** 17. SHEETAL NAGAR BERASIA ROAD, BHOPAL (MP)को आई.एस.आई. मार्कड चैफ कटर की प्रदायगी करने, देयक जारी करने एवं भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रदायगी एवं गुणवत्ता के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर निर्माता एवं डिस्टीब्यूटर पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे।

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **<u>दरों की प्रभावशीलता</u>** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 07.08.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 06.11.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **<u>आदेश की प्रक्रिया</u>** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

---- 2

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) कृषि विभाग व अन्य शासकीय विभागों को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर ही किया जावे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. <u>भुगतान –</u> प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। यदि सामग्री शासकीय योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रदायक को अनुदान की राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जावे।

6. <u>तकनीकी मापदण्ड :</u> सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. <u>अधिरोपित शास्ति</u> : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. <u>वारण्टी :</u> आर.सी.ओ. अनुसार सभी इम्पलीमेंट पर एक वर्ष की वारण्टी रहेगी।

9. <u>दरों की एक मात्र मान्यता</u> : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. <u>अन्य नियम एवं शर्तें :</u> उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 4

1846
08-8-25

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. **M/S. DELUX FOUNDRY** OFFICE AT : G.T. ROAD, BATALA - 143505 (PB)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)
07/08/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

दिनांक : 07.08.2025
08

मुख्या / विपणन / बी.डी. इम्प. (467 पार्ट–3) / 2025–25 / 1851

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आर.सी.ओ. दि0 20.05.2025

निगम के माध्यम से हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S. SAGAR AGRO INDUSTRIES, NEAR BUS STAND, MAHU-NEEMUCH ROAD, DHARAD, DISTT. RATLAM (MP) - 457441 SHRI YOGESH PANCHAL, PROPRIETOR : 9752674174 E-Mail : sagaragro2011dharad@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST		TOTAL	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST	FINAL SELLING PRICE
			%	Amount					
1	SINGLE DORA	1070.00	0%	0.00	1070.00	1070.00	53.50	0.00	1123.50
2	MULTI TOOL FRAME	6100.00	0%	0.00	6100.00	6100.00	305.00	0.00	6405.00
3	SOYA WEEDER	1000.00	0%	0.00	1000.00	1000.00	50.00	0.00	1050.00
4	CHAFF CUTTER (NON ISI)	8100.00	12%	972.00	9072.00	8100.00	405.00	1020.60	9525.60
5	SPIRAL SEED GRADER (7DISC)	5230.00	18%	941.40	6171.40	5230.00	261.50	988.47	6479.97

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 07.08.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 06.11.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

---- 2

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) कृषि विभाग व अन्य शासकीय विभागों को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर ही किया जावे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd ★BHOPAL★

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। यदि सामग्री शासकीय योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रदायक को अनुदान की राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जावे।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. अनुसार सभी इम्पलीमेंट पर एक वर्ष की वारण्टी रहेगी।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)

1852
08-8-25

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. **M/S. SAGAR AGRO INDUSTRIES,** NEAR BUS STAND, MAHU-NEEMUCH ROAD, DHARAD, DISTT. RATLAM (MP) - 457441

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/बी.डी. इम्प. (467 पार्ट-3)/2025-25/1853 दिनांक : 07.08.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आर.सी.ओ. दि0 20.05.2025

निगम के माध्यम से हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

निर्माता का नाम एवं पता	प्रदायक/डिस्टीब्यूटर का नाम एवं पता
M/S A.R. STEEL INDUSTRIES, OFFICE AT : PLOT NO. 114, FOCAL POINT, BATALA - 143505 (P.B.) SHRI JITENDRA RAGHUWANSHI, AUTH. SIGNATORY : 9425149432 PROPRIETOR : ANKUSH AGRAWAL MOBILE NO. 91-9814440022 E-Mail : arsteelindustries@gmail.com	**M/S. DURGA AGRICULTURE INDUSTRIES** NANA KHADI, A.B. ROAD, GUNA (MP) - 473001 SHRI RAJEEV RAGHUVANSHI, PROPRIETOR : 9425070995 durga_agriculture@yahoo.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST		TOTAL	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST	FINAL SELLING PRICE
			%	Amount					
1	MANUALLY OPERATED CHAFF CUTTER (ISI MARKED) IS (7898: 2001)	10800.00	12%	1296.00	12096.00	10800.00	540.00	1360.80	12700.80

NOTE : निर्माता मध्यप्रदेश के बाहर का होने के कारण उनके द्वारा मध्यप्रदेश के लिए **M/S. DURGA AGRICULTURE INDUSTRIES** NANA KHADI, A.B. ROAD, GUNA (MP) को आई.एस.आई. मार्कड चैफ कटर की प्रदायगी करने, देयक जारी करने एवं भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रदायगी एवं गुणवत्ता के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर निर्माता एवं डिस्टीब्यूटर पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे।

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 07.08.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 06.11.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd BHOPAL

---- 2

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) कृषि विभाग व अन्य शासकीय विभागों को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर ही किया जावे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। यदि सामग्री शासकीय योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रदायक को अनुदान की राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जावे।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. अनुसार सभी इम्पलीमेंट पर एक वर्ष की वारण्टी रहेगी।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)

---- 4

1854
08-8-25

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. **M/S A.R. STEEL INDUSTRIES,** OFFICE AT : PLOT NO. 114, FOCAL POINT, BATALA - 143505 (P.B.)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/बी.डी. इम्प. (467 पार्ट–3)/2025–25/1855 दिनांक : 07.08.2025 08

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आर.सी.ओ. दि0 20.05.2025

निगम के माध्यम से हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें **FOR DESTINATION** (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

निर्माता का नाम एवं पता	प्रदायक/डिस्टीब्यूटर का नाम एवं पता
M/S. DELUX KUTHALI WORKS, OPPOSITE ACHLESHWAR DHARAM KANDA, G.T. ROAD, BATALA SHRI NAKUL SEHDEV, PROPRIETOR MOB : 9814702638 E-MAIL : nakulsehdev19@gmail.com	**M/S. YOGESH DIVERSIFIED PVT. LTD.,** KEMFORD PUBLIC SCHOOL, SB-37, AMBER, BUNDAL KHAND, AKHARPUR, BHOPAL M.P. - 462042

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST		TOTAL	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST	FINAL SELLING PRICE
			%	Amount					
1	MANUALLY OPERATED CHAFF CUTTER (ISI MARKED) IS (7898: 2001)	10800.00	12%	1296.00	12096.00	10800.00	540.00	1360.80	12700.80

NOTE : निर्माता मध्यप्रदेश के बाहर का होने के कारण उनके द्वारा मध्यप्रदेश के लिए **M/S. YOGESH DIVERSIFIED PVT. LTD.,** KEMFORD PUBLIC SCHOOL, SB-37, AMBER, BUNDAL KHAND, AKHARPUR, BHOPAL M.P. - 462042 को आई.एस.आई. मार्कड चैफ कटर की प्रदायगी करने, देयक जारी करने एवं भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रदायगी एवं गुणवत्ता के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर निर्माता एवं डिस्टीब्यूटर पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे।

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 07.08.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 06.11.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

---- 2

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) कृषि विभाग व अन्य शासकीय विभागों को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर ही किया जावे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। यदि सामग्री शासकीय योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रदायक को अनुदान की राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जावे।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. अनुसार सभी इम्पलीमेंट पर एक वर्ष की वारण्टी रहेगी।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)

---- 4

1856
08-8-25

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. **M/S. DELUX KUTHALI WORKS,** OFFICE AT : OPPOSITE ACHLESHWAR DHARAM KANDA, G.T. ROAD, BATALA

प्रबंधक (विपणन)
07/08/25

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / बी.डी. इम्प. (467 पार्ट–3) / 2025–25 / 1857 दिनांक : 07.08.2025 08

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आर.सी.ओ. दि0 20.05.2025

निगम के माध्यम से हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें **FOR DESTINATION** (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

निर्माता का नाम एवं पता	प्रदायक / डिस्टीब्यूटर का नाम एवं पता
M/S. SHRI BALAJI FOUNDRY OFFICE AT : SHAHABPURA G.T. ROAD, BATALA - 143505 (PB) SHRI PAVEL RAJANI, AUTH. SIGNATORY : 9425049585 MOB - 91-9926080013 E-Mail : atulgadwal2@gmail.com	**M/S. GANGA INDUSTRIES** SURVEY NO. 444, VILLAGE KHATAMBA, BHOPAL -DEWAS HIGHWAY, DEWAS - 455115 (MP) SHRI MANOJ RAJANI, PROPRIETOR : 91-9425048585 gangaindustries1991@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST		TOTAL	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST	FINAL SELLING PRICE
			%	Amount					
1	MANUALLY OPERATED CHAFF CUTTER (ISI MARKED) IS (7898: 2001)	**10800.00**	**12%**	**1296.00**	**12096.00**	**10800.00**	**540.00**	**1360.80**	**12700.80**

NOTE : निर्माता मध्यप्रदेश के बाहर का होने के कारण उनके द्वारा मध्यप्रदेश के लिए **M/S. GANGA INDUSTRIES,** SURVEY NO. 444, VILLAGE KHATAMBA, BHOPAL - DEWAS HIGHWAY, DEWAS - 455115 (MP) को आई.एस.आई. मार्कड चैफ कटर की प्रदायगी करने, देयक जारी करने एवं भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रदायगी एवं गुणवत्ता के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर निर्माता एवं डिस्टीब्यूटर पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे।

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 07.08.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 06.11.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) कृषि विभाग व अन्य शासकीय विभागों को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर ही किया जावे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। यदि सामग्री शासकीय योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रदायक को अनुदान की राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जावे।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी :** आर.सी.ओ. अनुसार सभी इम्पलीमेंट पर एक वर्ष की वारण्टी रहेगी।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)

---- 4

1858
08-8-25

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. **M/S. SHRI BALAJI FOUNDRY** OFFICE AT : SHAHABPURA G.T. ROAD, BATALA - 143505 (PB)

प्रबंधक (विपणन)
08/08/25

M P State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / बी.डी. इम्प. (467 पार्ट–3) / 2025–25 / 1859 दिनांक : 07.08.2025 08

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आर.सी.ओ. दि0 20.05.2025

निगम के माध्यम से हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S. DURGA AGRICULTURE INDUSTRIES OFFICE AT : NANA KHADI, A.B. ROAD, GUNA (MP) - 473001 SHRI RAJEEV RAGHUVANSHI, PROPRIETOR : 9425070995 durga_agriculture@yahoo.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST		TOTAL	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST	FINAL SELLING PRICE
			%	Amount					
1	BUND FORMER	2800.00	0%	0.00	2800.00	2800.00	140.00	0.00	2940.00
2	SPIRAL SEED GRADER (7DISC)	5230.00	18%	941.40	6171.40	5230.00	261.50	988.47	6479.97

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 07.08.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 06.11.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 2

3. **<u>सामग्री की प्रदायगी</u>** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) कृषि विभाग व अन्य शासकीय विभागों को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर ही किया जावे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। यदि सामग्री शासकीय योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रदायक को अनुदान की राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जावे।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. अनुसार सभी इम्पलीमेंट पर एक वर्ष की वारण्टी रहेगी।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
07/08/22

प्रतिलिपि :- 1860 / 08-8-25

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 4

5. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. **M/S DURGA AGRICULTURE INDUSTRIES** OFFICE AT : NANA KHADI, A.B. ROAD, GUNA (MP) - 473001

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / बी.डी. इम्प. (467 पार्ट–3) / 2025–25 / 1866 दिनांक : 07.08.2025
08

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आर.सी.ओ. दि0 20.05.2025

निगम के माध्यम से हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S. SAMARADDHI AGRO, SHOP NO. 72, PHASE - 2, KAILASH NAGAR, SEMRAKALA, BHOPAL (MP) SHRI HAFIZ BHAI, PROPRIETOR : 9329170812
E-Mail : samridhifabricationagro@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST		TOTAL	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST	FINAL SELLING PRICE
			%	Amount					
1	GRAIN BIN 5 QTLS	2700.00	18%	486.00	3186.00	2700.00	135.00	510.30	3345.30
2	GRAIN BINS 10 QTLS	4475.00	18%	805.50	5280.50	4475.00	223.75	845.78	5544.53
3	GRAIN BINS 20 QTLS2013	7051.00	18%	1269.18	8320.18	7051.00	352.55	1332.64	8736.19
4	CHAFF CUTTER (NON ISI)	8100.00	12%	972.00	9072.00	8100.00	405.00	1020.60	9525.60
5	SPIRAL SEED GRADER (7DISC)	5230.00	18%	941.40	6171.40	5230.00	261.50	988.47	6479.97

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 07.08.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 06.11.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 2

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) कृषि विभाग व अन्य शासकीय विभागों को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर ही किया जावे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। यदि सामग्री शासकीय योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रदायक को अनुदान की राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जावे।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. अनुसार सभी इम्पलीमेंट पर एक वर्ष की वारण्टी रहेगी।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)

---- 4

प्रतिलिपि :- 1867 / 08-8-25

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. **M/S. SAMARADDHI AGRO,** SHOP NO. 72, PHASE - 2, KAILASH NAGAR, SEMRAKALA, BHOPAL (MP)

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / बी.डी. इम्प. (467 पार्ट–3) / 2025–25 / 1864 दिनांक : 07.08.2025
08

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आर.सी.ओ. दि0 20.05.2025

निगम के माध्यम से हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S A-ONE WELDING WORKS, DENDHWA ROAD, BALWADI, DISTT. BARWANI (MP) SHRI SRFUDDIN LADAWAT, PROPRIETOR : 91-9098669158
E-Mail : sarfuddin.ladaawat@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST		TOTAL	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST	FINAL SELLING PRICE
			%	Amount					
1	AUTOMATIC SEED CUM FERTI. DRILL (3-FURROW)	9950.00	0%	0.00	9950.00	9950.00	497.50	0.00	10447.50
2	BUND FORMER	2800.00	0%	0.00	2800.00	2800.00	140.00	0.00	2940.00
3	MULTI TOOL FRAME	6100.00	0%	0.00	6100.00	6100.00	305.00	0.00	6405.00
4	IMPROVED NIMAR (KHARGONE) HAL	2300.00	0%	0.00	2300.00	2300.00	115.00	0.00	2415.00
5	MAIZE SHELLLER	75.00	0%	0.00	75.00	75.00	3.75	0.00	78.75
6	SERRATED SICKLE	130.00	0%	0.00	130.00	130.00	6.50	0.00	136.50
7	G.N. DECORTICATOR	2550.00	0%	0.00	2550.00	2550.00	127.50	0.00	2677.50
8	HAND WHEEL HOW CYCLE TYPE	3050.00	0%	0.00	3050.00	3050.00	152.50	0.00	3202.50
9	WINNOWING FAN (I)	3800.00	0%	0.00	3800.00	3800.00	190.00	0.00	3990.00
10	MANUALLY OPERATED CHAFF CUTTER (ISI-MARKED) IS (7898: 2001)	10800.00	12%	1296.00	12096.00	10800.00	540.00	1360.80	12700.80
11	CHAFF CUTTER (NON ISI)	8100.00	12%	972.00	9072.00	8100.00	405.00	1020.60	9525.60
12	CONO WEEDER	2000.00	0%	0.00	2000.00	2000.00	100.00	0.00	2100.00
13	MULTI WEEDER	2300.00	0%	0.00	2300.00	2300.00	115.00	0.00	2415.00
14	SINGLE DORA	1070.00	0%	0.00	1070.00	1070.00	53.50	0.00	1123.50
15	NIMADI PANJI DHAL	5700.00	0%	0.00	5700.00	5700.00	285.00	0.00	5985.00
16	GRAIN BINS 10 QTLS	4475.00	18%	805.50	5280.50	4475.00	223.75	845.78	5544.53
17	SPIRAL SEED GRADER (7DISC)	5230.00	18%	941.40	6171.40	5230.00	261.50	988.47	6479.97

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 2

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 07.08.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 06.11.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

   (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

   (द) कृषि विभाग व अन्य शासकीय विभागों को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर ही किया जावे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

   (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। यदि सामग्री शासकीय योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रदायक को अनुदान की राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जावे।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. अनुसार सभी इम्पलीमेंट पर एक वर्ष की वारण्टी रहेगी।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 4

10. **<u>अन्य नियम एवं शर्ते</u>** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
07/08/25

प्रतिलिपि :– 1865 / 08-8-25

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. **M/S A-ONE WELDING WORKS,** DENDHWA ROAD, BALWADI, DISTT. BARWANI (MP)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)
07/08/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / बी.डी. इम्प. (467 पार्ट–3) / 2025–25 / 1861 दिनांक : 07.08.2025
08

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आर.सी.ओ. दि0 20.05.2025

निगम के माध्यम से हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S. JAY COMPANY, OFFICE AT : 62, BARWANI ROAD, ANJAD, DISTT. BARWANI (MP) SHRI DEEPAK PATIDAR, PROPRIETOR : MOB - 9993332450
E-Mail : deepakjpatidar@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST %	GST Amount	TOTAL	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST	FINAL SELLING PRICE
1	AUTOMATIC SEED CUM FERTI. DRILL (3-FURROW)	9950.00	0%	0.00	9950.00	9950.00	497.50	0.00	10447.50
2	SINGLE DORA	1070.00	0%	0.00	1070.00	1070.00	53.50	0.00	1123.50
3	BUND FORMER	2800.00	0%	0.00	2800.00	2800.00	140.00	0.00	2940.00
4	MULTI TOOL FRAME	6100.00	0%	0.00	6100.00	6100.00	305.00	0.00	6405.00
5	REVERSIBLE PLOUGH	2999.00	0%	0.00	2999.00	2999.00	149.95	0.00	3148.95
6	NIMADI PANJI DHAL	5700.00	0%	0.00	5700.00	5700.00	285.00	0.00	5985.00
7	IMPROVED NIMAR (KHARGONE) HAL	2300.00	0%	0.00	2300.00	2300.00	115.00	0.00	2415.00
8	MAIZE SHELLLER	75.00	0%	0.00	75.00	75.00	3.75	0.00	78.75
9	SERRATED SICKLE	130.00	0%	0.00	130.00	130.00	6.50	0.00	136.50
10	SOYA WEEDER	1000.00	0%	0.00	1000.00	1000.00	50.00	0.00	1050.00
11	G.N. DECORTICATOR	2550.00	0%	0.00	2550.00	2550.00	127.50	0.00	2677.50
12	HAND WHEEL HOW CYCLE TYPE	3050.00	0%	0.00	3050.00	3050.00	152.50	0.00	3202.50
13	SEED TRETMENT DRUM	2346.00	0%	0.00	2346.00	2346.00	117.30	0.00	2463.30
14	WINNOWING FAN (I)	3800.00	0%	0.00	3800.00	3800.00	190.00	0.00	3990.00
15	WINNOWING FAN (II)	5763.00	0%	0.00	5763.00	5763.00	288.15	0.00	6051.15
16	LOW.LIFT.PUMP (HAND OPERATED)	9490.00	0%	0.00	9490.00	9490.00	474.50	0.00	9964.50
17	CHAFF CUTTER (NON ISI)	8100.00	12%	972.00	9072.00	8100.00	405.00	1020.60	9525.60
18	SPIRAL SEED GRADER (7DISC)	5230.00	18%	941.40	6171.40	5230.00	261.50	988.47	6479.97

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 07.08.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 06.11.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

   (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

   (द) कृषि विभाग व अन्य शासकीय विभागों को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर ही किया जावे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

   (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 3

इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान –** प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। यदि सामग्री शासकीय योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रदायक को अनुदान की राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जावे।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी :** आर.सी.ओ. अनुसार सभी इम्पलीमेंट पर एक वर्ष की वारण्टी रहेगी।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

---- 4

State Agro Ind. Dev. Corpn. BHOPAL

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

1862
08-8-25

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. **M/S. JAY COMPANY,** OFFICE AT : 62, BARWANI ROAD, ANJAD, DISTT. BARWANI (MP)

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / बी.डी. इम्प. (467 पार्ट–3) / 2025–25 / 1868 दिनांक : 07.08.2025 08

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),
—————————

विषय : हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आर.सी.ओ. दि0 20.05.2025

निगम के माध्यम से हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S SHREENATH AGRO & BIO TECH, OFFICE AT : 606/12, SAMAJWADI INDIRA NAGAR, INDORE - 452002 SHRI PRAFULL PANCHAL, PROPRIETOR :
MOB : 91- 9301535000 E-MAIL : devangipanchal09@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST		TOTAL	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST	FINAL SELLING PRICE
			%	Amount					
1	CHAFF CUTTER (NON ISI)	8100.00	12%	972.00	9072.00	8100.00	405.00	1020.60	9525.60
2	SPIRAL SEED GRADER (7DISC)	5230.00	18%	941.40	6171.40	5230.00	261.50	988.47	6479.97

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 07.08.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 06.11.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 2

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) कृषि विभाग व अन्य शासकीय विभागों को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर ही किया जावे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। यदि सामग्री शासकीय योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रदायक को अनुदान की राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जावे।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. अनुसार सभी इम्पलीमेंट पर एक वर्ष की वारण्टी रहेगी।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
07/08/25

1869
08-8-25

प्रतिलिपि :– उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन,
2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

5. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. **M/S SHREENATH AGRO & BIO TECH,** OFFICE AT : 606/12, SAMAJWADI INDIRA NAGAR, INDORE - 452002

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/बी.डी. इम्प. (467 पार्ट–3)/2025–25/1870 दिनांक : 07.08.2025 08

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आर.सी.ओ. दि0 20.05.2025

निगम के माध्यम से हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S. VISHWAKARMA KRISHI YANTRA, OFFICE AT : AGAR ROAD, NEAR LELAND SHOWROOM, SURSA, UJJAIN (MP) SHRI VIJESH PANCHAL, PROPRIETOR : 9300640759E-MAIL : vishwakarmakrashiyantra9920@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST		TOTAL	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST	FINAL SELLING PRICE
			%	Amount					
1	SPIRAL SEED GRADER (7DISC)	5230.00	18%	941.40	6171.40	5230.00	261.50	988.47	6479.97

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 07.08.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 06.11.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) कृषि विभाग व अन्य शासकीय विभागों को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर ही किया जावे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। यदि सामग्री शासकीय योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रदायक को अनुदान की राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जावे।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. अनुसार सभी इम्पलीमेंट पर एक वर्ष की वारण्टी रहेगी।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

1871
08-8-25

प्रबंधक (विपणन)
07/08/25

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

---- 4

P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

5. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. **M/S. VISHWAKARMA KRISHI YANTRA,** OFFICE AT : AGAR ROAD, NEAR LELAND SHOWROOM, SURSA, UJJAIN (MP)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)
07/08/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/बी.डी. इम्प. (467 पार्ट–3)/2025–25/1872 दिनांक : 07.08.2025 08

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),
____

विषय : हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आर.सी.ओ. दि0 20.05.2025

निगम के माध्यम से हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S. PANCHAL ENGINEERING WORKS, OFFICE AT : VILL VRAJRAJ KHEDI, POST LEKODA DISTT. UJJAIN SHRI PANNA LAL PANCHAL, PROPRIETOR : 91-9131832751 E-Mail : shreejeeagro111@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST		TOTAL	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST	FINAL SELLING PRICE
			%	Amount					
1	SPIRAL SEED GRADER (7DISC)	5230.00	18%	941.40	6171.40	5230.00	261.50	988.47	6479.97

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 07.08.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 06.11.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

---- 2

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

3. **<u>सामग्री की प्रदायगी</u>** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) कृषि विभाग व अन्य शासकीय विभागों को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर ही किया जावे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

---- 3

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। यदि सामग्री शासकीय योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रदायक को अनुदान की राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जावे।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. अनुसार सभी इम्पलीमेंट पर एक वर्ष की वारण्टी रहेगी।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 28.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
08/08/25

1873
08-8-25

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 4

5. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. **M/S. PANCHAL ENGINEERING WORKS,** OFFICE AT : VILL VRAJRAJ KHEDI, POST LEKODA DISTT. UJJAIN

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)
07/08/15